

संख्या- 983 / XIII-I / ०६- 3(14)2004

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

कृषि निदेशक,
उत्तरांचल।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग -1

देहरादून: दिनांक ११ सितम्बर, 2006

विषय- कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य/दायित्व तथा अधिष्ठान से संबंधित प्रशासनिक अधिकारों का पुर्णनिर्धारण।

महोदय,

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार/कर्तव्य/दायित्व तथा अधिष्ठान से संबंधित प्रशासनिक अधिकारों का पुर्णनिर्धारण किये जाने के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के विषय में अब तक निर्गत किये गये समस्त शासनादेशों को अवक्षित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती के फलस्वरूप विभागीय कार्यालयों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशासनिक अधिकारों तथा कर्तव्यों एवं दायित्वों का निम्नानुसार निर्धारण करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- जिला परिषद अधिनियम/जनपद स्तर/ मण्डल स्तर तथा कार्मिक विभाग द्वारा सेवा-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों के अनुसार कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों पर जिला परिषद एवं जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी तथा मण्डल स्तर पर कार्यरत अधिकारियों पर मण्डलायुक्त का जो नियन्त्रण पूर्व से स्थापित किया गया है, वह पूर्ववत बना रहेगा।

Giri

अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य एवं दैनिक
कृषि निदेशक

- (1) निदेशक विभाग का प्रधान है इस नाते उसके पास विभाग के समस्त कार्यों का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। निदेशक विभाग से संबंधित सभी मामलों में शासन के प्रति उत्तरदायी होंगे।
- (2) निदेशक कृषि सेवा श्रेणी-1 के अधिकारियों के रथानान्तरण व तैनाती के संबंध में शासन को अपनी संस्तुति करेंगे तथा कृषि सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों का रथानान्तरण व तैनाती के संबंध में समय-2 पर शासन द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
- (3) कृषि सेवा श्रेणी-1 के समस्त मामले तथा कृषि सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों के लघु दण्ड से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य समस्त मामलों में शासन को अपनी संस्तुति भेजेंगे।
- (4) निदेशक का अधीनस्थ कृषि सेवा के अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति तैनाती, प्रोन्नति, रथानान्तरण तथा दण्ड से संबंधी सभी मामलों पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा।
- (5) निदेशक महत्वपूर्ण/कियाकलाओं/योजनाओं के नियमों के अवसर पर तृप्तिकों तथा जनता से प्राप्त सुझावों शिकायतों का निस्तारण करेंगे। वे रथानीय विभागीय अधिकारियों से मिलकर मौके पर कार्य का निरीक्षण करेंगे व निर्णय लेंगे।
- (6) भ्रमण के समय निदेशक संबंधित जिले के जिलाधिकारी वे मण्डल के आयुक्त से मिलकर महत्वपूर्ण मामलों में विचार-विमर्श करने के पश्चात उनका निस्तारण करेंगे।
- (7) निदेशक विभाग के लेखा कार्य के संबंध में अधिकारियों के कर्तव्यों पर महालेखाकार के साथ-साथ नियंत्रण रखेंगे तथा धन के वितरण, स्टोर की अभिरक्षा व लेखा वितरण के प्रस्तुतीकरण नियमों का कठोरूता से पालन कराने हेतु महालेखाकार को यथोचित व विधि सम्मत सहयोग देंगे।
- (8) निदेशक आय-व्ययक अनुभाग, जो उनके योजनाओं व कार्यों से संबंधित हो, प्रतिवर्ष तैयार करेंगे और इस दृष्टि से अनुदान के अंतर्गत व्यय की प्रगति के संबंध में कठोर निगरानी रखेंगे ताकि प्राविधान से अधिक व्यय न हो जाय और अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अपेक्षित विनियोग आवेदन--पत्र लिए स्वीकृत प्राविधान का व्यय सामान्य मितव्ययिता सिद्धान्तों के आधार पर समुचित तौर से हो तथा वर्ष के अन्त में स्वीकृत प्राविधान की व्ययगत से बचाने हेतु अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय। यदि प्राविधान के अंतर्गत किसी धनराशि की आवश्यकता न हो तो उसे उसी वर्ष तुरन्त समर्पण कराने की आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे, ताकि समुचित प्राधिकारी द्वारा समर्पित धनराशि को अन्य कार्यों के लिए स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा सके।
- (9) निदेशक अपने विभाग से संबंधित मामलों में दूसरे विभागों के विभागाध्यक्षों से सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं।

- (10) निदेशक प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के चार मास के उपरान्त विभाग की वाणिजिक प्रशासनिक रिपोर्ट शासन का प्रस्तुत करेंगे।
- (11) श्रेणी-1,2 एवं 3 के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य।
- (12) निदेशक, विभाग के समस्त शिकायतों/गबन/दुर्विनियोग की जांच संबंधी कार्य।
- (13) अधीनस्थ कार्यालयों का लेखा सम्प्रेक्षण कार्य।
- (14) विभाग द्वारा संचालित विशेष कार्यक्रमों का कियान्वयन।
- (15) गुणवत्ता नियंत्रण कार्य।
- (16) श्रेणी-1,2 व 3 के कोर्ट केस से संबंधित कार्य।

अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय)

- (1) अराजपत्रित कर्मियों का समस्त अधिष्ठान से संबंधित कार्य। (निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में)
- (2) भूमि संरक्षण (जलागम प्रबन्ध) से संबंधित समस्त कार्य।
- (3) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का नियोजन एवं अनुश्रवण कार्य।
- (4) लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद से संबंधित कार्य।
- (5) प्रशिक्षण संबंधित कार्य।
- (6) कोर्ट सेल का समस्त कार्य।
- (7) जैविक कृषि, कृषि निवेश एवं कृषि प्रसार संबंधी कार्य।
- (8) कोर वैली सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम संबंधी कार्य।
- (9) समय समय पर शासन तथा विभागाध्यक्ष स्तर से सौंपे गये कार्य।

अपर कृषि निदेशक, पौड़ी

- (1) पौड़ी में नियोजन, अनुश्रवण, प्रेक्षण एवं शोध संबंधी कार्य।
- (2) गढ़वाल मण्डल की विभिन्न योजनाओं की नियमित मासिक समीक्षा।
- (3) बीज गोदामों से संबंधी कार्य।
- (4) समय समय पर शासन तथा विभागाध्यक्ष स्तर से सौंपे गये कार्य।
- (5) अपर कृषि निदेशक अपने मण्डल में कृषि सामान्य, कृषि रक्षा, जलागम, मृदा परीक्षण, शोध, राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित कार्यों तथा योजनाओं के समन्वय तथा पर्यवेक्षण के प्रति उत्तरदायी होंगे। अपर कृषि निदेशक मण्डल में मण्डलायुक्त, कृषि निदेशक तथा

Om

JPS

शासन के निर्देशन में कार्य करेंगे। अपर निदेशक मण्डल में अधिकारियों के प्रशासनिक एवं प्राविधिक कार्यों को सुचारू रूप से नियन्त्रित, कार्यान्वित करने के लिये निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे।

- (6) अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मण्डल से बाहर स्थानान्तरण एवं तैनाती हेतु अपनी संस्तुति निदेशक को देंगे और मण्डल में स्थानान्तरण नीति तथा विभागीय निदेशों के तहत अनुभागों के तहत अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं तैनाती का कार्य स्वयं करेंगे।
- (7) अपर कृषि निदेशक मण्डल के अन्तर्गत समस्त परियोजनाओं, बीज भण्डारों तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों, कृषि रक्षा इकाईयों के 10 प्रतिशत कार्यों का सत्यापन करेंगे तथा मामले में हुए विवाद के प्रति पूर्ण रूप से उनका दायित्व होगा।
- (8) मुख्य कृषि अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण एवं लेखा, रोकड़ बही के अवशेष धनराशि का भौतिक सत्यापन करेंगे। मण्डलान्तर्गत पूर्ति भण्डार, बीज गोदामों, कृषि रक्षा गोदामों का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।
- (9) कृषि प्रक्षेत्रों का त्रैमासित निरीक्षण व विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक को भेजेंगे।
- (10) मण्डल के अन्तर्गत जनपदों में समस्त कृषि निवेशों की यथास्थिति उपलब्धता तथा वितरण की व्यवस्था का कार्य देखेंगे।
- (11) मण्डल स्तर पर बजट संबंधी समस्त कार्य एवं आहरण पर नियन्त्रण एवं उसका व्यय विवरण निदेशक को भेजेंगे।
- (12) मण्डल के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं गोदामों का अपने लेखा स्टाफ के द्वारा सम्प्रेक्षण करायेंगे।
- (13) महालेखाकार एवं विभागीय सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनों का निरस्तारण कराना, चोरी, गबन, दुर्विनियोग के मामलों में यथा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा निदेशालय को रिपोर्ट भेजेंगे।
- (14) उर्वरक, शस्य बीज, बोरा, भूसा, कृषि रक्षा रसायनों के वार्षिक चिटठों को यथा समय अधीनस्थ कार्यालयों से तैयार कराना तथा मण्डल स्तर पर संकलन के पश्चात समरा से निदेशालय को भेजना।

Chw

- (15) विभिन्न प्रकार के क्षतियों का निस्तारण करपना, चोरी, गवन, दुर्विनियमों के नामतां पर संबंधित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना तथा निदेशालय को रिपोर्ट भेजना।
- (16) मण्डलासार्गत आमीनस्थ कार्यालयों एवं कार्यालयों के जैविकों एवं यथा रामग निरसारण सुनिश्चित करना तथा पेंशन प्रकरणों का समय से निस्तारण कराना।
- (17) विभागीय बकायों की वसूली सुनिश्चित कराना।
- (18) अपने मण्डल में भूमि संरक्षण कार्यों, योजनाओं का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा सहायक निदेशक, जलागम द्वारा ₹ 50 हजार से अधिक तथा ₹ 1.25 लाख तक के लागत कार्यों की प्रत्येक संरचना प्राविधिक की स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करेंगे। प्रत्येक त्रैमास में प्रत्येक इकाई की कम से कम 2 परियोजनाओं का सत्यापन करेंगे।
- (19) मण्डलासार्गत सामान्य भविष्य निधि के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न अराजपत्रित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि विशेष अग्रिम, स्थाई अग्रिम तथा 90 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि प्रकरण एवं सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा योजनाओं के दावों पर स्वीकृति देना।

संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन नियंत्रण)

- (1) नियोजन, अनुश्रवण व मूल्यांकन से संबंधित समस्त कार्य।
- संयुक्त कृषि निदेशक(गुणवत्ता नियंत्रण)
- संयुक्त कृषि निदेशक, गुणवत्ता नियन्त्रण सीधे कृषि निदेशक के नियंत्रण में कार्य करेंगे, जिनके निम्न कार्य होंगे।
1. बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों का गुण नियंत्रण संबंधी कार्य।
 2. क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं संबंधी समस्त कार्य।
- संयुक्त कृषि निदेशक(सांखिकी एवं फसल बीमा)
1. कृषि सांखिकी तथा फसल बीमा से संबंधित कार्य।

वित्त एवं लेखा नियंत्रक

1. कृषि विभाग के बजट संबंधी कार्य।
2. पेंशन संबंधी कार्य।
3. लोक सेवा समिति का समरत कार्य।
4. लोक सेवा समिति का समस्त कार्य।

उप निदेशक कृषि निदेशक (तकनीकी/ सम्प्रेक्षण)

1. राज्य भूमि उपयोगिता परिषद का कार्य।
2. तकनीकी सम्प्रेक्षण से संबंधित कार्य।

उप कृषि निदेशक(प्रशिक्षण / मानव संसाधन)

उप कृषि निदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन सीधे अपर निदेशक मुख्यालय /
कृषि निदेशक के नियंत्रण में कार्य करेंगे, जिनके निम्न कार्य होंगे:-

1. कार्मिकों के स्थापना तथा लेखा संबंधी कार्य।

2. मुख्यालय प्रशासन।

3. कार्मिकों एवं कृषक प्रशिक्षण संबंधी ।

उप कृषि निदेशक(कृषि विपणन)

1. कृषि विपणन से संबंधित कार्य।

उप कृषि निदेशक(सांख्यिकी)

1. कृषि सांख्यिकी तथा फसल बीमा से संबंधित कार्य।

सहायक निदेशक (निवेश)

1. कृषि निवेशों की व्यवस्था से संबंधित कार्य।

सहायक निदेशक (अभियन्त्रण)

1. विभिन्न प्रयोगशाला उपकरण / मशीनरी कृषि रक्षा यंत्र, पालीहाउस एवं स्प्रिंकलर सैट आदि के कार्य संबंधी कार्य।

सहायक निदेशक (कृषि रक्षा / निगरानी)

1. कृषि रक्षा रसायनों की व्यवस्था कार्य।

सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण)

1. मृदा परीक्षण से संबंधित कार्य।

सहायक निदेशक (सम्प्रेक्षण)

1. तकनीकी सम्प्रेक्षण से संबंधित कार्य।

सहायक निदेशक (नियोजन)

1. योजनाओं के नियोजन से संबंधित कार्य।

सहायक निदेशक (कृषि विपणन)

1. कृषि विपणन से संबंधित कार्य।

सहायक निदेशक (कृषि सांख्यिकी)

1. कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा संबंधी कार्य।

लेखाधिकारी (वित्त)

1. लोक लेखा समिति का समर्त कार्य।

2. सम्प्रेक्षण का समर्त कार्य।

3. पेशन संबंधी कार्य।

4. कृषि विभाग के बजट संबंधी कार्य।

5. विभागीय कार्मिकों द्वारा किये गये गबन संबंधी कार्य।

लेखाधिकारी सम्प्रेक्षण

1. सम्प्रेक्षण से संबंधित समर्त कार्य।

सहायक लेखाधिकारी

1. बजट एवं सम्प्रेक्षण से संबंधित समर्त कार्य।

✓w

मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक

1. संयुक्त कृषि निदेशक अपने मण्डल में कृषि सामान्य, कृषि रक्षा, जलागम, मृदा प्रीक्षण, शोध, राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित कार्यों तथा योजनाओं के समन्वय तथा पर्यवेक्षण के प्रति उत्तरदायी होंगे। संयुक्त कृषि मण्डल में मण्डलायुक्त, कृषि निदेशक तथा शासन के निर्देशन में कार्य करेंगे। संयुक्त निदेशक मण्डल में अधिकारियों के प्रशासनिक एवं प्राविधिक कार्यों को सुचारू रूप से नियन्त्रित, कार्यान्वित करने के लिये निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे।
2. अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मण्डल से बाहर स्थानान्तरण एवं तैनाती हेतु अपनी संस्तुति निदेशक को देंगे और मण्डल में स्थानान्तरण नीति तथा विभागीय निदेशों के तहत अनुभागों के तहत अधीकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं तैनाती का कार्य खंय करेंगे।
3. संयुक्त कृषि निदेशक मण्डल के अन्तर्गत समस्त परियोजनाओं, बीज भण्डारों तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों, कृषि रक्षा इकाईयों के 10 प्रतिशत कार्यों का सत्यापन करेंगे तथा मामले में हुए विवाद के प्रति पूर्ण रूप से उनका दायित्व होगा।
4. मुख्य कृषि अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण एवं लेज़ा, रोकड़ बही के अवशेष धनराशि का भौतिक सत्यापन करेंगे। मण्डलान्तर्गत पूर्ति भण्डार, बीज गोदामों, कृषि रक्षा गोदामों का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।
5. कृषि प्रक्षेत्रों का त्रैमासित निरीक्षण व विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक को भेजेंगे।
6. मण्डल के अन्तर्गत जनपदों में समरत कृषि निवेशों की यथास्थिति उपलब्धता तथा वितरण की व्यवस्था का कार्य देखेंगे।
7. मण्डल स्तर पर बजट संबंधी समस्त कार्य एवं आहरण पर नियन्त्रण एवं उसका व्यय विवरण निदेशक को भेजेंगे।
8. मण्डल के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं गोदामों का अपने लेखा स्टाफ के द्वारा सम्प्रेक्षण करायेंगे।
9. महालेखाकार एवं विभागीय सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनों का निस्तारण कराना, चोरी, गबन, दुर्विनियोग के मामलों में यथा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चयत करेंगे तथा निदेशालय को रिपोर्ट भेजेंगे।

JPS

- ४ -
- 14
99
10. उर्वरक, शस्य बीज, बोरा, भूसा, कृषि रक्षा रसायनों के वार्षिक घटठों को यथा समय अधीनस्थ कार्यालयों से तैयार कराना तथा मण्डल स्तर पर संकलन के पश्चात् समय से निदेशालय को भेजना।
 11. विभिन्न प्रकार की क्षतियों का निस्तारण करपना, चोरी, गबन, दुर्विनियमों के मामलों पर संबंधित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना तथा निदेशालय को रिपोर्ट भेजना।
 12. मण्डलान्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों के देयकों का यथा समय निस्तारण सुनिश्चित करना तथा पेंशन प्रकरणों का समय से निस्तारण कराना।
 13. विभागीय बकायों की वसूली सुनिश्चित कराना।
 14. अपने मण्डल में भूमि संरक्षण कार्यों, योजनाओं का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा सहायक निदेशक, जलागम द्वारा ₹० 50 हजार से अधिक तथा ₹० 1.25 लाख तक के लागत कार्यों की प्रत्येक सरदना प्राधिकारी की स्वीकृति नियन्त्रित करेंगे। प्रत्येक वैमास में प्रत्येक इकाई की कम से कम 2 परियोजनाओं का सत्यापन करेंगे।
 15. मण्डलान्तर्गत सामान्य भविष्य निधि के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न अराजपत्रित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि विशेष अग्रिम, स्थाई अग्रिम तथा 90 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि प्रकरण एवं सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा योजनाओं के दावों पर स्वीकृति देना।

मुख्य कृषि अधिकारी

कृषि विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप जिला स्तर पर पूर्व की व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए कृषि विभाग के समस्त अनुभागों में जिला स्तर पर अच्छा समन्वय स्थापित करने के उद्देश से मुख्य कृषि अधिकारी के सीधी नियन्त्रण में रखा गया है। जिला स्तर पर कृषि विभाग के समस्त कार्यकमों, योजनाओं के सफलतापूर्वक कियान्वयन एवं संचालन की जिम्मेदारी विभिन्न अनुभागों के विभागीय अधिकारियों तथ सहायक निदेशक, प्रसार, सहायक निदेशक जलागम, कृषि रक्षा अधिकारी, केन्द्राध्यक्ष, प्रतिरक्षा केन्द्र एवं प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की केन्द्राध्यक्ष, प्रतिरक्षा केन्द्र एवं प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की केन्द्राध्यक्ष, प्रतिरक्षा केन्द्र एवं प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की केन्द्राध्यक्ष, प्रतिरक्षा केन्द्र एवं प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की केन्द्राध्यक्ष, प्रतिरक्षा केन्द्र एवं प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की केन्द्राध्यक्ष, प्रतिरक्षा केन्द्र एवं प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की केन्द्राध्यक्ष, प्रतिरक्षा केन्द्र एवं प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की होगी। उपरोक्त कृतियों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु मुख्य कृषि अधिकारी के नियन्त्रित दायित्व निश्चित किये जाते हैं:-

- (1) मुख्य कृषि अधिकारी जिले में कृषि विभाग का नोडल अधिकारी होगा।
- (2) मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर कृषि विभाग का आहरण वितरण अधिकारी होगा।

Om

JPS

- (3) ग्राम्य, धूषि लाधिकारी जिला स्तर पर ग्राम्यस्तान्त्रिक कृषि निवेशों द्वारा उत्तराखण्ड, बीज, धूषि एवं रक्षणात्मक धूषि भाग में आगे आगे आगे उपलब्धता विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करायेगा।
- (4) कृषि विभाग भारत सरकार एवं उत्तरांचल सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियमों, विनियमों आदेशों को कियान्वित करायेगा।
- (5) जिले में कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि हेतु कार्य योजना बनायेगा एवं उसको कियान्वित करेगा।
- (6) उत्तरांचल भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 11 एवं उसके अधीन नियमावली के प्रस्तर 4(3), 10, 12 एवं उप प्रस्तरों के प्राविधानों के अंतर्गत मुख्य कृषि अधिकारी निदेशक, कृषि का नामित अधिकारी होगा एवं निदेशक कृषि के प्रतिमिथि के विहित कर्तव्यों का निर्वाचन करेगा।
- (7) जिला स्तर पर अंकलित समस्त योजनाओं की प्रगति, सूचनाओं का संकलित करेगा एवं संयुक्त कृषि निदेशक/निदेशक, कृषि को समय-समय पर प्रेषित करेगा।
- (8) सहायक निदेशक, जलागम द्वारा तैयार समस्त कच्चे कार्यों की अंतिम तकनीकी अनुमोदन प्रदान करेगा।
- (9) अपने क्षेत्राधिकार में चलने वाली प्रत्येक जलागम प्रबन्ध इकाई की प्रतिमाह दो परियोजना का स्थलीय निरीक्षण तथा उसका शत प्रतिशत भैतिक सत्यापन करेगा।
- (10) अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण करना तथा लेखा अभिलेखों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देते हुए रोकड़ बही का सत्यापन करना।
- (11) ₹० ५० हजार की संरचनाओं की प्राविधिक स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करने तथा उससे अधिक धनराशि की संरचनाओं पर नियमानुसार उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करना।
- (12) अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों का सम्प्रेक्षण कराना।
- (13) जिला स्तर पर बजट संबंधी सम्पूर्ण कार्यदायित्वों से संबंधित सूचना संयुक्त निदेशक/कृषि निदेशक को प्रस्तुत करना।
- (14) मुख्य कृषि अधिकारी अपने कार्यालयों में समस्त तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों तथा अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के समुचित रख रखाव एवं कर्मचारियों के देयकों का समय से निस्तारण करना।
- (15) जिले में कृषि कार्यकर्ताओं से संबंधित योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 20 प्रतिशत सत्यापन करना।
- (16) जिले के अंतर्गत बीज/उर्वरक अधिनियमों के अंतर्गत निदिष्ट कार्य दायित्वों का निर्वहन करना।
- (17) शा०स०-१०७/री०ए०स०/कृषि/०३ रिट-२(2)२००२ दिनांक ३ जनवरी, २००४ के परिशिष्ट-१ के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन वयवरथा के अंतर्गत कार्यदायित्वों का निर्वहन करना।

Giri

सहायक निदेशक, कृषि प्रसार

सहायक निदेशक, कृषि प्रसार को निम्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मुख्य कृषि अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है।

- (1) जिला स्तर पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों यथा उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों आदि की उपलब्धता विभिन्न संस्थाओं में माध्यम से सुनिश्चित कराने में पूर्ण सहयोग देना।
- (2) जिला स्तर पर आपूर्ति कृषि निवेशों यथा उर्वरक, बीज यंत्र, कृषि रक्षा उपकरणों, कृषि रसायनों के समय से वितरण की व्यवस्था तथा धनराशि राजकोष में जमा की निरंतर समीक्षा करते हुए समीक्षा रिप्टिशि मुख्य कृषि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (3) जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कार्य योजना का कार्यान्वयन।
- (4) आवंटित लक्ष्यों के आधार पर जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण लक्ष्यों को पूर्ण समाप्ति करना।
- (5) जिले में कृषि उत्पादन में सतत लाने हेतु कार्य योजना बनाना तथा उसे कियान्वित करना।
- (6) कृषकों को कृषि ऋण तथा किसान केडिट उपलब्ध कराने में विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को मार्गदर्शन/सहयोग प्रदान करना तथा कृषकों को ऋण सुलभ कराने में बैंकों से समन्वय स्थापित करना।
- (7) जनपद स्तर पर वार्षिक चिठ्ठियों को समय से तैयार कराना तथा बीज भण्डार बकायों की वसूली सुनिश्चित करना।
- (8) कृषि की नवीन तकनीकी के संबंध में कृषकों को जानकारी सुलभ कराना तथा जनपद के विकास खण्डों में आयोजित प्रदर्शनों की जाँच करना एवं प्रदर्शन पंजिकाओं के रखरखाव के साथ-2 प्रदर्शन परिणामों के अभिलेख पूर्ण कराना।
- (9) कृषि विभाग, भारत सरकार एवं उत्तरांचल सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियमों, विनियमों आदेशों का सफल क्रियान्वयन करना तथा बीज / उर्वरक नियंत्रण आदेशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना।
- (10) समय-2 पर जनपद के बीज गोदामों, पूर्ति भण्डार का निरीक्षण करना तथा वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों के अनुसार लेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- (11) विधान सभा, लोक सभा प्रश्नों पर कार्यवाही तथा जिला मुख्यालय पर गोष्ठियों, बैठकों में सम्बन्धित सूचनाओं को तैयार करना।
- (12) मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा समस-2 सौपे गये सभी कार्यों का निष्पादन करना।

Om

Giri

सहायक निदेशक, जलागम

प्रत्येक जिले में भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के कियान्वयन हेतु सहायक निदेशक, जलागम का एक या एक से अधिक पद सृजित किये गये हैं, जिसके कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:-

- (1) उत्तरांचल भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 में सहायक निदेशक, जलागम को कार्य हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, जिसके कारण इकाई स्तर पर सभी कार्यों के लिए सहायक निदेशक, जलागम ही उत्तरदायी है।
- (2) इकाई के समस्त परियोजनाओं का प्रारूप अधिनियम के अनुसार तैयार करना, मुख्य कृषि अधिकारी एवं जिला भूमि एवं जल संरक्षण/जिला जलागम समिति से घनका अमुगोद्धन प्राप्त करना।
- (3) इकाई के समस्त परियोजनाओं के कार्यों का निष्पादन, मापन, सत्यापन तथा भुगतान की व्यवस्था कराना एवं समस्त देय धनराशि के अभिलेखों के

रख-रखाव का प्रबन्ध करना।

- (4) इकाई के प्रत्येक उप इकाई की प्रतिमाह दो-दो परियोजनाओं का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना तथा पक्के कार्यों का निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री की व्यवस्था करना।
- (5) इकाई स्तर पर कराये गये कार्यों से संबंधित लेखा अभिलेखों को पूर्ण कराना तथा भुगतान सुनिश्चित करना।
- (6) इकाई के समस्त तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को विभागीय निर्देशानुसार पूर्ण कराना तथा सभी कर्मचारियों के स्थापना/सेवा विषयक अभिलेखों का रख-रखाव करना।
- (7) इकाई स्तर पर कराये गये समस्त कार्यों की प्रगति विवरण नियमों के अनुसार व्यय करना तथा उससे सम्बन्धित सूचना प्रेषित करना।
- (8) इकाई को आवंटित समस्त धनराशि को वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करना तथा उससे सम्बन्धित सूचना प्रेषित करना।
- (9) भूमि संरक्षण कार्यों पर व्यय की गई धनराशि का अभिलेख तैयार कराना एवं लाभार्थी से वसूली के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित करना।

जलागम प्रबन्धक

सहायक निदेशक, जलागम को प्राविधिक कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक इकाई में एक जलागम प्रबन्धक की नियुक्ति की गई है, जिनके कर्तव्य निम्न प्रकार हैं:-

- (1) परियोजना के चयन, सर्वेक्षण, नियोजन, निष्पादन, मापन एवं सत्यापन में अधीनस्थ कर्मचारियों एवं जलागम विकास दल का मार्गदर्शन करना।
- (2) जलागम संघिव द्वारा मापित तथा कनिष्ठ अभियंता द्वारा सत्यापित कच्चे कार्यों के अतिरिक्त समस्त कार्यों का सत्यापन करना।

Giri

- (3) जलागम सचिव द्वारा निष्पादित तथा कनिष्ठ अभियंता द्वारा मापित समस्त पक्के कार्यों का शत प्रतिशत सत्यापन करना।
- (4) इकाई स्तर पर समस्त प्राविधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रतिवेदनों को तैयार कर सहायक निदेशक, जलागम को प्रस्तुत करना।
- (5) इकाई स्तर पर विभिन्न प्रकार के राजकीय स्तर से कराये गये कार्यों के अभिलेखों का रख-रखाव करना उनसे संबंधित दायित्वों का समय से तैयार कराना एवं वसूली का पूर्ण विवरण रखावाना।

कनिष्ठ अभियंता

- (1) जलागम सचिव द्वारा निर्वाचित सभी लोगों में भागानाम बाहारपत्रों में समय-समय पर मार्गदर्शन देना।
- (2) जल निकास नालियों तथा नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण कर उनके लिए एवं कास सैक्षण तैयार करना।
- (3) परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पक्के कार्यों का डिजाइन एवं अनुमान लेखा तैयार करना।
- (4) जलागम सचिव द्वारा मापित कार्यों का सत्यापन करना।
- (5) क्षेत्र में समस्त पक्के कार्यों का निष्पादन अपने निर्देशन में कराना एवं जलागम सचिव द्वारा निष्पादित समस्त पक्के कार्यों का सत्यापन करना एवं भुगतान हेतु संस्तुति सहित प्रेषित करना।
- (6) इकाई स्तर पर समस्त प्रगति प्रतिवेदन एवं सूचनाएं तैयार करने में मानचित्रको सहयोग देना।
- (7) सचिव द्वारा कराये गये समस्त पक्के कार्यों का मापन करना।
- (8) पूर्व निर्धारित अन्य समस्त कार्य।

उप जलागम प्रबन्धक

- (1) जलागम सचिव के कार्यों में तकनीकी सहयोग देना।
- (2) जलागम विकास दल/प्रोजेक्ट के लीडर के कार्यों का निर्वहन करना।
- (3) जलागम सचिव द्वारा कराये गये समस्त कच्चे कार्यों के मापन करने के सहयोग करना एवं कार्यों को प्रमाणित करना।
- (4) सचिव द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- (5) जलागम संघ/समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेना।
- (6) क्षेत्रीय स्तर पर सर्वेक्षण /नियोजन करना।
- (7) जलागम समिति /जलागम विकास दल की मॉग/संस्तुतियों को अपनी आख्या के साथ सहायक निदेशक, जलागम के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (8) जल समेट क्षेत्र का चयन, सर्वेक्षण एवं नियोजन में जलागम सहायक को प्राविधिक मार्गदर्शन देना एवं सहायता करना।
- (9) परियोजना का नियोजन, व्यय अनुमान तैयार करना तथा विभिन्न आकार पत्रों की तैयारी में जलागम सहायक को मार्गदर्शन देना।
- (10) लाभग्रहियों से निकट का सम्पर्क स्थापित कर उनकी भूति संरक्षण सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करना।

Giri

- 13
- 156
104
- (11) भूमि, संस्थाएँ और लोगों की सहायता के लिए विद्युत वित्तीय संस्थाएँ जलागम कायाधिकारियों एवं जलागम सहायकों को अवगत करना।
- (12) पूर्व निर्धारित अन्य समस्त कार्य।

जलागम सहायक

- जलागम सहायक पदेन परियोजना प्रभारी होगा, जिसके कार्य निम्न होंगे:-
- (1) स्वयं सहायता शमूल एवं उपयोगिता समूल का गठन सधा के लिए इन किसाओं का संचालन करना।
 - (2) जलागम के सदस्यों को कार्यक्रम के प्रति जागरूक करना।
 - (3) क्षेत्रीय स्तर पर जलागम कार्यों के सर्वेक्षण, नियोजन तथा निष्पादन में जलागम समिति / सचिव एवं जलागम विकास दल को सहयोग करना।
 - (4) समस्त निष्पादित कार्यों के सम्बन्ध में प्रगति विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर उप जलागम प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।
 - (5) निष्पादित क्षेत्रों में उत्पादन कार्यक्रम को कियान्वित करना।
 - (6) भूमि, संस्थाएँ और वित्तीय संस्थाएँ को जलागम निर्धारित रूप पत्र जारी करना एवं सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में सूचना देना।
 - (7) पूर्व निर्धारित अन्य समस्त कार्य।

**प्रशासनिक अधिकारों का पुर्णनिर्धारण
वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन**

क्र. स.	पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकृत प्राधिकारी	अन्य वित्त
1.	कृषि निदेशक	कृषि सचिव	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास	मा० कृषि मंत्री जी	
2.	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशक	कृषि सचिव	मा० कृषि मंत्री जी	
3	संयुक्त कृषि निदेशक मुख्यालय / मंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक	कृषि निदेशक	कृषि सचिव	मा० कृषि मंत्री जी	
4	श्रेणी-1 स्तर के अधिकारी (मुख्यालय)	कृषि निदेशक	कृषि सचिव	मा० कृषि मंत्री जी	
5	जनपद मुख्य कृषि अधिकारी श्रेणी-1	संयुक्त कृषि निदेशक	कृषि निदेशक	कृषि सचिव	

Giri

Ch

6.	श्रेणी-2 के मुख्यालय स्तर के अधिकारी	संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक	अपर कृषि निदेशक (मुख्यालय)	कृषि निदेशक	
7.	श्रेणी-2 के जनपद स्तरीय अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक	कृषि निदेशक	
8.	सहायक लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	वित्त लेखा एवं नियंत्रक।	कृषि निदेशक	
9.	लेखाधिकारी	वित्त लेखा एवं नियंत्रक	-	कृषि निदेशक	
10.	वित्त एवं लेखा नियंत्रक	कृषि निदेशक	-	वित्त सचिव	

मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों की वार्षिक प्रविष्टि का अंकन

क्र.	विभिन्न वर्गों / पदों का सम	प्रतिवेदक प्राप्तिकारी	समीक्षक / स्त्री कर्ता	चरित्र पंजिका किस स्तर पर	अभ्यु क्ति
1.	अ०क०स०वर्ग-1	उच्च अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
2.	अ०क०स०वर्ग-2	उच्च अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
3.	अ०फ०स०वर्ग-3	उच्च अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
4.	लेखाकार	उच्च अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
5.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	तदेव	कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	तदेव	कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
7.	प्रशासनिक अधिकारी	तदेव	कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
8.	आशुलिपिक ग्रेड- I / II	उच्च अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
9.	आशुलिपिक	तदेव	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
10.	प्रधान लिपिक	संबंधित अनुभाग अधिकारी	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग	
11.	वरिष्ठ लिपिक	संबंधित अनुभाग	अपर कृषि	कृषि निदेशालय	

Giri

Ch

12	कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर	संबंधित अनुभाग अधिकारी	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
13.	वरिष्ठ मानचित्रक	संबंधित अनुभाग अधिकारी	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
14	मानचित्रक	संबंधित अनुभाग अधिकारी	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
15	फार्मिष्ट अभियन्ता	संबंधित अनुभाग अधिकारी	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
16	वरिष्ठ अधिकारी कृषि रक्का	संबंधित अनुभाग अधिकारी	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
17	आनुप्रयोगकारी	संबंधित अनुभाग अधिकारी	कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
18	वाहन चालक	संबंधित अनुभाग अधिकारी	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग

मण्डल पर कार्यरत कार्मिकों की प्रविस्तियों का अंकन

1	अ०प००१०५०००-१	वाधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
2	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
3	अ०क००१०००००-२	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
4	अ०क००१०००००-३	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
5	लेखाकार	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
6	सहायक लेखाकार	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
7	प्रशासनिक अधिकारी	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
8	प्रधान लिपिक	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
9	आशुलिपिक--ग्रेड-- ॥ आशुलिपिक	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
10	वरिष्ठ मानचित्रक	अधिकारी जिसके	मण्डलीय	मण्डलीय

Giri

		अधीन कार्यरत है।	कार्यालयाध्यक्ष	प्रायोलियाध्यक्ष स्तर पर
11	वरिष्ठ सहायक	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
12	अनुरेखक	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
13	कृषि रक्षा यांत्रिक	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
14	वाहन चालक	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
15	कनिष्ठ लिपिक	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
16	चतुर्थ श्रेणी	अधिकारी जिसके अधीन कार्यरत है।	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर

जिला स्तरीय कार्मिकों की प्रविष्टियों का अंकन

1	अ०क०स० वर्ग-1	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मुख्य कृषि अधिकारी	कृषि निदेशालय प्रशासन अनुभाग
2	कनिष्ठ अभियन्ता	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मुख्य कृषि अधिकारी	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
3	अ०क०स० वर्ग-2	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मुख्य कृषि अधिकारी	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
4	अ०क०स० वर्ग-3	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी के स्तर पर
5	प्रधान लिपिक	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मुख्य कृषि अधिकारी	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
6	वरिष्ठ सहायक	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मुख्य कृषि अधिकारी	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
7	कनिष्ठ सहायक	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मुख्य कृषि अधिकारी	कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
8	लेखाकार / सहायक लेखाकर	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर
9	आशुलिपिक	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	मुख्य कृषि अधिकारी	मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर

10	दाहन चालक	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	कार्यालयाध्यक्ष	कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर	
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष	कार्यालयाध्यक्ष	कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर	

- (1) सांख्यिकी शाखा के कार्मिक जो राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत हैं, उनके प्रतिवेदक अधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष, समीक्षक अधिकारी सयुंक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी एवं स्वीकृता अधिकारी कृषि निदेशक होंगे। अन्य समूह (ग) लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष प्रतिवेदन एवं सयुंक्त कृषि निदेशक स्वीकृता अधिकारी होंगे तथा सांख्यिकी अनुभाग के समूह (ग) के कर्मचारियों की चरित्र पंजिका सयुंक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी के कार्यालय स्तर पर रहेंगी।
- (2) जनपद स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कार्यरत वर्ग-1,2,3 के कर्मचारियों के प्रतिवेदक अधिकारी सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण तथा समीक्षा / स्वीकृता अधिकारी मण्डलीय सयुंक्त कृषि निदेशक होंगे।
- (3) कृषि त्रिपण से संबंधित जनपद स्तर पर कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग के कर्मियों के प्रतिवेदक अधिकारी मुख्य कृषि आयकारी तथा स्वीकृता उच्च निदेशक, कृषि विपणन, मुख्यालय होंगे।
- (4) राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षक एवं सहायक लेखाकार की चरित्र प्रविष्टि हेतु प्रतिवेदक अधिकारी केन्द्राध्यक्ष तथा स्वीकृता अधिकारी मण्डलीय सयुंक्त कृषि निदेशक होंगे। अन्य कर्मियों की प्रविष्टि हेतु केन्द्राध्यक्ष ही स्वीकृता होंगे।
- (5) संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र पर वर्ग-1,2 एवं 3 के कार्यरत कर्मियों एवं सहायक लेखाकार की चरित्र प्रविष्टि हेतु सहायक निदेशक (प्रदर्शन) प्रतिवेदक अधिकारी तथा स्वीकृता अधिकारी मण्डलीय सयुंक्त कृषि निदेशक होंगे। अन्य कर्मियों की प्रविष्टि हेतु सहायक निदेशक कृषि निदेशक होंगे। अन्य कर्मियों की प्रविष्टि हेतु सहायक निदेशक (प्रदर्शन) स्वीकृता अधिकारी होंगे।

विभाग के मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के आकास्मिक अवकाश, यात्रा कार्यक्रमों की स्वीकृति एवं यात्रा भत्ता बिलों के प्रतिहस्ताक्षरण के संबंध में अधिकारों का प्रतिनिधायन।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	आकास्मिक अवकाश स्वीकृति अधिकारी	यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं यात्रा बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण अधिकार
1	कृषि निदेशक	सचिव, कृषि। सचिव, कृषि के मुख्यालय से बाहर होने पर अपर सचिव, कृषि	कृषि निदेशक

१.	भाष्ट्र कृषि निदेशक मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक	भाष्ट्र निदेशक मण्डलायुक्त	भाष्ट्र निदेशक कृषि निदेशक
४.	संयुक्त कृषि निदेशक, श्रेणी-१ के अधिकारी (मुख्यालय)	अपर कृषि निदेशक / कृषि निदेशक	कृषि निदेशक
५.	मुख्य कृषि अधिकारी	अध्यक्ष, जिला पंचायत। अध्यक्ष के मुख्यालय से बाहर होने पर मुख्य विकास अधिकारी/ मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन जिला पंचायत अध्यक्ष तथा यात्रा बिलों का यात्रा भत्ता बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण मण्डलीय संयुक्त / अपर कृषि निदेशक करेंगे
६.	जनपद मुख्यालय स्तर पर / तहसील/ विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग के समस्त श्रेणी-२ के अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी

1. समूह "क" एवं घ के कर्मचारियों के संबंध में आकर्षित अवकाश / यात्रा कार्यक्रम
अनुमोदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।
2. समूह "क" के अधिकारियों द्वारा आकर्षित अवकाश की सूचना निदेशालय को भी
प्रेषित करेंगे।

कृषि विभाग के मण्डल स्तर एवं जनपद स्तर पर कार्यरत
अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी अधिकार

क०स०	पदनाम	स्थानान्तरण के स्तर	अन्तर स्थानान्तरण	मण्डलीय
१	मण्डलान्तर्गत समूह ग एवं घ के समस्त कर्मचारी।	मण्डलान्तर्गत संयुक्त / अपर कृषि निदेशक नीति के आधार पर अनुभाग के अन्दर स्थानान्तरण के सक्षम प्राविधारी होंगे।	अन्तर स्थानान्तरण के आधार अन्तर स्थानान्तरण के अधिकारी के स्तर से किये जायेंगे।	मण्डलीय कृषि निदेशक उत्तरांचल के स्तर से किये जायेंगे।

अधिकारियों / कर्मचारियों को भूमि / भवन निर्माण अग्रिम / भवन मरम्मत / वाहन / कम्प्यूटर क्य / साईकिल क्य हेतु अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार।

क०स.	श्रेणी	स्वीकृता	अभिलेखों के रख रखाव का स्तर
१.	विभाग के समस्त अधिकारी / कर्मचारी	कृषि निदेशक	वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
Anantakarsh
(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या 983/XIII/06-3(14)2004 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थे एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयित-

1. आयुक्त, गढवाल मंडल, पौडी / कुमायै मण्डल, नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. अपर कृषि निदेशक, पौडी / देहरादून।
5. समांक्त कृषि निदेशक, गढवाल मंडल, पौडी / कुमायै मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त उप कृषि निदेशक / मुख्य कृषि अधिकारी / श्रेणी-2 के अधिकारी,
- उत्तरांचल।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से
(Om Prakash)
 (ओम प्रकाश)
 सचिव।